

बिहार सरकार,
पर्यावरण एवं वन विभाग,
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना-800 014

संख्या FC-466

प्रेषक,

ए० के० पाण्डेय, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री मनोज यादव,
ग्राम- चौथा,
थाना- रजौली,
जिला- नवादा

पटना, दिनांक- 19/06/2017

विषय - नवादा जिलान्तर्गत खाता न० 16, खेसरा नं० 130 एवं खाता नं० 08 खेसरा नं० 57 में पत्थर खनन हेतु 2.50 हे० वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि के अपयोजन का प्रस्ताव।

प्रसंग - वन संरक्षक, गया अंचल, गया का पत्रांक का 606 दिनांक 06.05.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव को भारत सरकार के वेबसाईट www.moef.nic.in पर लॉग इन कर ऑन लाईन समर्पित नहीं किया गया है।

अतः अनुरोध है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि अपयोजन हेतु समर्पित प्रस्ताव को भारत सरकार के वेबसाईट पर ऑन लाईन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

(ए० के० पाण्डेय)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।